(वाद संख्या–983/17)

16.12.2019

परिवादी, स्नेहा, उपस्थित हैं।

परिवादी के परिवाद–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन व परिवादी की ओर से दिनांक–21.11.2019 को समर्पित आवेदन पर परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला ''महालया'' एवं ''मैगनेटो कम्प्यूटर'' नामक अनिबंधित नन बैंकिंग कम्पनी खोलकर लोगों के साथ ठगी करने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि उक्त नन बैंकिंग कम्पनी के संचालक उसके बड़े भाई आलोक कुमार श्रीवास्तव है। उन्हें तथा उनके परिवार किसी सदस्य का उक्त दोनों कम्पनियों से कोई लेना–देना नहीं है। परिवादी का कथन है कि उक्त नन बैंकिंग कम्पनी के निवेशकों द्वारा प्रताड़ित करने के उद्देश्य से ही उसे तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों को अलग–अलग मामले में फंसा दिया गया है।

अपने प्रतिवेदन में वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन ठगी कांड में निवेशकों द्वारा मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुल पांच आपराधिक मामले संस्थित किये गये है, जबकि एक कांड पटना जिलान्तर्गत पाटलिपुत्र थाना में संस्थित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि पाटलिपुत्र थाना में संस्थित मामले में परिवादी का नाम नहीं है। अपने प्रतिवेदन में वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर का कथन है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत संस्थित पांच आपराधिक मामलों में से बेला थाना कांड संख्या–11/15, दिनांक–04.04.2015 के अन्तर्गत अन्वेषणोपरान्त आठ नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक–26.05.2019 को आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है। अहियापुर थाना कांड संख्या–730/15, दिनांक–14.08.2015 में अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में प्राथमिकी के दस नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 406/420/419/467/468/471/341/323/504/120बी.के अन्तर्गत उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है। इसीतरह ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या–214/15, दिनांक–15.08.2015, काजी मोहम्मदपुर थाना कांड–401/15, दिनांक–05.09.2015 तथा काजीमोहम्मदपुर थाना कांड संख्या–432/15, 13.02.2015 के अन्तर्गत भी सभी दस प्राथमिक अभियुक्तों के विरूद्ध उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया

है। उपरोक्त सभी मामलों में परिवादी के परिवार के सदस्य व कम्पनी के कर्मचारी अभियुक्त हैं।

परिवादी का मौखिक कथन है कि उसके बड़े भाई आलोक कुमार श्रीवास्तव के जमानत याचिका के सुनवाई के क्रम में माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर उसके बड़े भाई आलोक कुमार श्रीवास्तव की ओर से करीब पैंसठ लाख रुपये तथा अचल सम्पत्ति के स्वामित्व का कागजात दाखिल किया गया है तथा उक्त के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उसके बड़े भाई को जमानत पर मुक्त करने का आदेश पारित किया गया है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामले में अन्वेषणोपरान्त पुलिस द्वारा या तो कुछ मामले में आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है या कुछ मामलों में परिवादी के बड़े भाई सहित परिवार के सदस्यों की संलिप्तता को सत्य पाया गया है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी के परिवार के सदस्यों की संलिप्तता को आयोग के स्तर पर असत्य मानना उचित नहीं होगा। परिवादी चाहें तो अपने को निर्दोष साबित करने हेतु माननीय न्यायालय से विधिनुसार अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त के आलोक में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन (पृ0–35–31/प0) की प्रति के साथ आज पारित आदेश की प्रति उनके नये पते पर भेज दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक